81

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1914—दो/2007 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29—11—2007 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 118/अ—6/2006—07/अपील

.....

1— श्रीमती रामश्री वेबा स्व. राधाकिशन कुशवाह

2— कैलाशी पुत्री स्व. श्री राधाकिशन पत्नी
श्री रामस्वरूप कुशवाह
निवासीगण—ग्राम सामले का पुरा मोजा जाफरावाद
तहसील— जौरा, जिला— मुरैना, म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1— वैजन्ती पत्नी प्रीतमसिंह पुत्री विजयसिंह,
निवासी— गदाल का पुरा, प. जौरा
जिला—मुरैना, म0प्र0

2— गौधनी पत्नी स्व. रामदयाल पुत्री विजयसिंह
निवासी सेवा का पुरा तहसील व जिला— मुरैना, म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक, आवेदकगण ।
अनावेदकगण पूर्व से एक पक्षीय है

.....

आदेश

(आज दिनांक 4—11—2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी, न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29—11—2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में यह है कि तहसील जौरा के ग्राम जाफरावाद में स्थित विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1079 रकबा 0.07 आरे, सर्वे क्रमांक 1106 रकबा 0.40 आरे, सर्वे क्रमांक 1107 रकबा 0.02 आरे एवं सर्वे क्रमांक 1373 रकबा 0.45 आरे कुल किता 4 कुल रकबा 0.94 आरे जिसके अभिलिखित भुमिस्वामी राधाकिशन पुत्र भोजराज थे। अभिलिखित भुमिस्वामी राधाकिशन की मृत्यु हो जाने के कारण विवादित भूमियों पर वारिसान के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण कराने बावत आवेदन पत्र आवेदकगण द्वारा पेश किया गया, जो नामांतरण पंजी क्रमांक 20 दिनांक 05.08.2006 पर दर्ज हुआ। इसी दौरान अनावेदकगण द्वारा एक आवेदन पत्र पटवारी के समक्ष पेश किया गया । उभयपक्ष द्वारा नामांतरण चाहा गया । नामांतरण विवादित हो जाने के कारण पटवारी द्वारा उक्त प्रकरण तहसील न्यायालय जौरा को प्रेषित किया गया । विचारोपरांत तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 28/अ–6/2005–06 पर पंजीबद्ध किया जाकर अभिलेखित भूमिस्वामी राधाकिशन के स्थान पर आदेश दिनांक 15.01.07 से विवादित भूमियों का समान भाग पर उभयपक्ष के हित में नामांतरण आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो प्र0क्र0 27/06–07/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 24.04.2007 से अपील स्वीकार करते हुये, तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2007 निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के इसी आदेश से दुखित होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 118/अ–6/2006–07/अपील दर्ज किया गया तथा दिनांक 29.11.2007 से द्वितीय अपील स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के आदेश को निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि के भूमिस्वामी स्व0 राधाकिशन थे। इनकी मृत्यु के बाद वैध वारिस एक पुत्री कैलाशी बाई एवं पत्नी रामश्री बेवा राधाकिशन है । इसके अलावा कोई वैध वारिस नहीं है । अनावेदक 1 व 2 विजय सिंह की पुत्रियां है । जब विजय सिंह की पुत्रियां है तो राधाकिशन की विवादित सम्पत्ति में हिस्सा लेने का कोई हक अथवा स्वतव निहित नहीं है, फिर भी आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनोती दी गई । उक्त अपील में उठाये गये बिन्दू मुख्य रूप से इस प्रकार थे कि अनावेदिका वैजन्ती व गोधनी पुत्र विजय

सिंह की होकर विजय सिंह के भाग में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार रखती है । राधाकिशन के हिस्से में से केवल उनके वैध वारिस पुत्री व पत्नी ही हिस्सा प्राप्त कर सकती है अन्य को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 24.04.07 से निरस्त किया था, जिसे द्वितीय अपील न्याालया द्वारा अपास्त करने में भूल की है । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में यह उल्लेख किया था कि आवेदकगण यह सिद्ध करने में असफल रही है कि मृतक राधाकिशन की पुत्री नहीं है। तहसील न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम यह दायित्व था कि प्रकरण के तथ्यों की जॉच कराई जानी चाहिये थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। इस कारण से फौती नामांतरण की कार्यवाही में सदैव मृतक के वैध वारिसान के हित में ही नामांतरण आदेश पारित किया जाता है, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा विधिक सिद्धांत एवं कानून की अव्हेलना करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 24.04.07 से अपास्त किया। उक्त आदेश को द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 29.11.07 से निरस्त करने में महान वैधानिक भूल की है। उनके द्वारा तर्क में यह भी बताया गया कि उक्त प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज अनावेदिका द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया, फिर भी द्वितीय अपीलय न्यायालय द्वारा स्वीकार की गई । ऐसा आदेश कतई स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है जो कानून की मंशा के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीस्थ न्यायालय के अभिलेख का भलीभांति परिशीलन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाया गया कि विचारण न्यायालय आवेदकगण ने विवादित भूमि पर नाम्रांरतण किये जाने बावत आवेदन पत्र पेश किया था, उसमें आवेदकगण ने अपने आपको की मृतक राधाकिशन का वारिस होना बताया था । अनावेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय में जो आवेदन पत्र पेश किया था, उसमें उसके द्वारा सजरा खानदान बनाया गया था तथा अपने आपको तथा आवेदकगण को वारिस बताया और समान भाग पर विवादित भूमि पर नामांतरण की मांग की । यह तथ्य आवेदकगण और अनावेदकगण को स्वीकार है कि मृतक अभिलिखित भूमिस्वामी राधाकिशन की पुत्रियां अनावेदकगण नहीं है । इस तथ्य को स्वयं अनावेदकगण ने स्वीकार किया तथा विचारण

न्यायालय ने भी स्वीकार किया है । मुद्दा यह नहीं है कि अनावेदकगण मृतक की पुत्रियां नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि मृतक की वारिस किस आधार पर है । इस बिन्दू पर अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा कोई विचार नहीं किया गया । अनावेदकगण का यह कहना था कि मृतक राधाकिशन का बड़ा भाई विजयसिंह था, जो अनावेदकगण के पिता थे। विजय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद राधाकिशन द्वारा उसकी मां रामश्री जो कि विजय सिंह की प्रथम पत्नी थी, उसके साथ विवाह कर लिया गया था । जब विवाह हो गया तो अनावेदकगण मृतक राधाकिशन की पुत्रियां हो गई थी। मृतक राधाकिशन ने पुत्री के रूप में उन्हें स्वीकार किया था । अनावेदकगण द्वारा यही तथ्य को उजागर किया गया था और उसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमियों पर आवेदकगण तथा अनावेदकगण के नाम समान भाग पर नामांरतण स्वीकार किया गया था । अनावेदकगण ने पंचनामा भी पेश किया है, जिसमें 12,000/–, 12,000/–, एवं 12,000/– रुपये तीनों पुत्रियों द्वारा राधाकिशन की मृत्यु के बाद खर्च में व्यय किये गये थे । समान रूप से उसका उल्लेख है, इसे अनावेदकगण द्वारा अमान्य नहीं किया गया । अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा भ इस संबंध में मौन रहे है । मात्र एक ही बिन्दू पर अनुविभागीय अधिाकरी, जौरा द्वारा अपना आदेश पारित किया गया है कि अनावेदकगण राधाकिशन की पुत्रियां होना सिद्ध करने में असफल रही है । मात्र इसी बिन्दू के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया और आवेदकगण के हक में नामांतरण का आदेश पारित किया गया । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा पारित विचाराधीन आदेश स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है । यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि पारित आदेश स्पीकिंग आदेश होना चाहिये, अन्यथा ऐसा आदेश शून्य है । अनुविभागीय अधिकारी को अपने आदेश में सुस्पष्ट विवेचना करना चाहिये था कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित नामांतरण आदेश किन कारणों से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । मात्र दो लाईन में लिख देने से न्याय की मंशा पूर्ण नहीं होती । विचारण न्यायालय ने प्रकरण में आई साक्ष्य का पूर्ण रूप से विवेचना करने के उपरांत ही आदेश पारित करते हुये नामांतरण किये जाने के आदेश दिये गये थे, जो विधि की मंशा के अनुसार सही था। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने भी अपने विस्तृत आदेश में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है तथा अनुविभागीय अधिकारी, जौरा के द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अनुविभागीय अधिकारी, जौरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2007 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.01.2007 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2007 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है । फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन व महत्वहीन होने से निरस्त की जाती है । तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर